ADA
उद्योग निदेशालय, गोपनीय
19 JUL 2016

दिनांक 23.06.2016 को उपायुक्त, गुमला की अध्यक्षता में आहुत C.S.R. (Corporate Social Responsibility) बैठक की कार्यवाही

दिनांक 23.06.2016 को उपायुक्त की अध्यक्षता में C.S.R. (Corporate Social Responsibility) अन्तर्गत जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं निजी क्षेत्र के कार्पोरेट के साथ बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्न प्रकार से जिला स्तरीय गठित समिति में पदाधिकारी एवं कम्पनी के प्रतिनिधि भाग लिए :—

उपस्थिति

01. श्रवण साय, उपायुक्त भा0 प्र0 से0	—	अध्यक्ष
02. नागेन्द्र कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त, गुमला	—	सदस्य
03. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गुमला	—	सदस्य / सचिव
04. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला	—	सदस्य
05. सिविल सर्जन, गुमला	—	सदस्य
06. जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला	—	सदस्य
07. सहायक खनन पदाधिकारी, गुमला	—	सदस्य
08. महाप्रबंधक, हिण्डालको, लोहरदगा	—	सदस्य
09. प्रबंधक, ज्योमैक्स, लोहरदगा	—	सदस्य

सचिव कोषांग, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड

सर्वप्रथम उपायुक्त, गुमला ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

कार्यवाही

उपायुक्त, गुमला द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार हिण्डालको के प्रतिनिधि से अबतक किये गये कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी माँगी गई। हिण्डालको के प्रतिनिधि श्री आर0 डी0 गुप्ता ने बताया कि सांसद आदर्श ग्राम विशुनपुर में स्वयंसेवी संस्था के द्वारा पूर्व से शौचालय बना दिया गया है, इस कारण हिण्डालको अब इसमें शौचालय बनाने का कार्य नहीं कर पायेगी । वर्ष 2016–17 में CSR के तहत मुख्य कार्यालय से आवंटन प्राप्त होते ही अन्य विकास के कार्यों में खर्च किया जायेगा । श्री गुप्ता ने बताया कि CSR के तहत किये जाने वाले कार्यों के लिए हिण्डालको में अलग से कर्मचारी एवं पदाधिकारी पदस्थापित हैं, जिनके देख–रेख में CSR के कार्य कराये जाते हैं । इनके कम्पनी के द्वारा पूर्व से ही Education, Health Care तथा Family welfare Program में कार्य किया जा रहा है, जो अब भी जारी है । इसमें ग्रामीण महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण तथा उच्च शिक्षा हेतु ग्रामीण बच्चों को गाँव से शहर तक लाने के लिए बस मुहैया कराया जाना एवं गाँव के बिमार व्यक्तियों के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा हिण्डालको द्वारा दी गयी है ।

उपायुक्त महोदय ने वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत CSR के अन्तर्गत किये जाने वाले खर्च का ब्यौरा माँगा। श्री गुप्ता ने बताया कि इस माह के अन्त तक मुख्य कार्यालय मुम्बई से सूचना आ जायेगी कि इस जिला के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है इस सम्बन्ध में सूचना मिलते ही भवदीय को इससे अवगत करा दिया जायेगा। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर नगर भवन के बाहर स्टेडियम के दिवारों पर किये गये सोहराय पेंटिंग में अबतक हिण्डालको के द्वारा एक लाख पच्चास हजार रू0 दिया गया शेष राशि की माँग की गयी, जिस पर श्री गुप्ता ने असहमति व्यक्त की । वर्ष 2016–17 में CSR के अन्तर्गत Net Profit के अनुसार खर्च किये जाने वाले राशि को उपायुक्त कार्यालय में जमा करने हेतु कहा गया था । दिनांक 06.04.2016 को हुए बैठक की कार्यवाही में उपायुक्त महोदय द्वारा ऐसा कहा गया था कि इस सम्बन्ध में उपायुक्त महोदय को पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सम्पूर्ण राशि उपायुक्त कार्यालय में ही जमा किया जाना है। इस पर श्री गुप्ता ने बताया कि मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है और ऐसा होने से हिण्डालको का CSR Section कार्य के अभाव में बन्द हो जायेगा तथा श्री गुप्ता ने उस पत्र की एक प्रति जानकारी के लिए माँगी। उपायुक्त ने कहा है कि इसकी प्रति सभी लोगों को दे दी जायेगी ।

1260/DI
22/7/16

श्री आर0 डी0 गुप्ता द्वारा जिला खनिज कोष में 5 करोड़ 53 लाख रूपया जमा करने का आश्वासन दिया, तथा 18 जुन 2016 के तिथि से निर्गत कम्पनी का एक पत्र दी गयी, तथा कहा गया कि जिला स्तर से किसी भी तरह के विकास मद में खर्च किया जा सकता है ।

सहायक खनन पदाधिकारी के प्रतिनिधि से दो इकाईयों के अतिरिक्त और भी नये खनन क्षेत्र में लगे इकाईयों की सूची की माँग की गयी थी । इस पर सहायक खनन पदाधिकारी के प्रतिनिधि ने बताया कि इस जिला में और खनन कार्य करने वाली इस तरह की इकाई नहीं है, जिसे CSR के अन्तर्गत लाया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि पूर्व बैठक में मलेरिया जोन से सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित बच्चों एवं स्त्री–पुरूष जो भी ग्रसित है उनके लिए हिण्डालको एवं सिविल सर्जन को मिलकर जगह–जगह चेकआप कैम्प लगाने का निदेश दिया गया था तथा इसका कीट भी मंगाने का निदेश था इस पर हिण्डालको एवं सीविल सर्जन के प्रतिनिधि ने बताया कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। अगले बैठक के पूर्व इसका अनुपालन करने का आवश्वासन दिया गया।

चेम्पर ऑफ कॉमर्स के कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहने के कारण उनके द्वारा अबतक किये गये कार्यों की समीक्षा नहीं हो सकी ।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला के द्वारा संप्रेक्षण गृह तिर्रा, गुमला में कुल 74 बाल संवासियों को Vocation Training दिलाने की व्यवस्था कराने हेतु पत्र देकर अनुरोध किया गया था, उसे सभी सदस्यों के बीच रखा गया ताकि उसे मुख्य धारा में शामिल किया जा सके इस पर हिण्डालको के प्रतिनिधि को प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने हेतु कहा गया। श्री गुप्ता द्वारा आवश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही संप्रेक्षण गृह जाकर वस्तु स्थिति से अवगत होकर आगे की कार्रवाई करने हेतु आवश्वासन दिया गया ।

ज्योमैक्स के प्रतिनिधि को द्वारा पूर्व के बैठक में R.O. System से पानी आपूर्ति हेतु मशीन लगाने हेतु कहा गया था इस पर ज्योमैक्स के प्रतिनिधि ने बताया कि उक्त मशीन लगाने को तैयार हूँ । इसमें कौन सा मशीन लगाया जायेगा उसकी बजट प्राक्कलित राशि की माँग की गयी ताकि उस कार्य को शीघ्र कराया जा सके । उक्त कार्य में आने वाले खर्च के सम्बन्ध में शीघ्र ही इन्हें पत्र दे दिया जायेगा ।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

उपायुक्त, गुमला

ज्ञापांक .... / गुमला, दिनांक .... /

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, गुमला/अपर समाहर्त्ता, गुमला/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गुमला/सिविल सर्जन, गुमला/ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला/ जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला/सहायक, खनन पदाधिकारी, गुमला/अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, गुमला/महाप्रबंधक हिण्डालको, लोहरदगा/प्रबंधक, ज्योमेक्स, लोहरदगा/ कार्यपालक अभियन्ता, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उपायुक्त, गुमला

ज्ञापांक 246 / गुमला, दिनांक 25/06/2016

प्रतिलिपि :– सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, श्रमनियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/ प्रमण्डलीय आयुक्त, द० छो० प्र०, राँची को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।

23.6.16
उपायुक्त, गुमला